*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/अनु०–09–01/2013 152 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 21/3/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न विभागीय योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन निर्माण हेतु इस मद में उपलब्ध कुल ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न विभागीय योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन निर्माण हेतु इस मद में उपलब्ध कुल राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०– 151 दिनांक– 21/3/18 के आलोक में सहायक अनुदान के रूप में आवंटित की जाती है।

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र।

2. आवंटित कुल राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र की के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें,** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में के आलोक में किया जाएगा तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता सं०– 259, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में संधारित की जाएगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

3. राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म– 46 पर की जाएगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। विपत्र के साथ बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या– 259 की प्रति संलग्न किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना उक्त राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या– 259 में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जाएगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

6. (क) कुल आवंटित ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) में से ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या– 48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष– 0110–शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217011910110,** विषय शीर्ष– 0110.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

(ख) कुल आवंटित ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) में से ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 05–अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष– 0107–शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217050010107,** विषय शीर्ष– 0107.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

(ग) कुल आवंटित ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) में से ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओ–नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0106–शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से सम्बन्धित परियोजना तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–**48-2217031920106,** विषय शीर्ष– 0106.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

(घ) कुल आवंटित ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) में से ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतो–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0105–शहरी आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित, विपत्र कोड– **48-2217031930105,** विषय शीर्ष 0105.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 2ब०/अनु०–09–01/2013 152 / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 21/3/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक, (लेखा) बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना /स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0मैनेजर /कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/अनु०–09–01/2013 151 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 21/3/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न विभागीय योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन निर्माण हेतु इस मद में उपलब्ध कुल ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न विभागीय योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन निर्माण हेतु इस मद में उपलब्ध कुल ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. स्वीकृत कुल राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र की के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें,** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में के आलोक में किया जाएगा तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता सं०– 259, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में संधारित की जाएगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

3. राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म– 46 पर की जाएगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। विपत्र के साथ बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या– 259 की प्रति संलग्न किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना उक्त राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के पी०एल० खाता संख्या– 259 में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जाएगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

6. (क) कुल स्वीकृत ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) में से ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या– 48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष– 0110–शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217011910110**, विषय शीर्ष– 0110.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

(ख) कुल स्वीकृत ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) में से ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 05–अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष– 0107–शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217050010107**, विषय शीर्ष– 0107.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

(ग) कुल स्वीकृत ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) में से ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओ–नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0106–शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से सम्बन्धित परियोजना तैयार करने हेतु नगर निकायों/ प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–**48-2217031920106**, विषय शीर्ष– 0106.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

(घ) कुल स्वीकृत ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) में से ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतो–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0105–शहरी आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित, विपत्र कोड– **48-2217031930105**, विषय शीर्ष 0105.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– 2ब०/अनु०–09–01/2013 के पृ०– 35 /टि० पर दिनांक– 19-3-2018 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृ०– 36 /टि० पर दिनांक– 20-3-2018 को प्राप्त है।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 2ब०/अनु०–09–01/2013 151 / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 21/3/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक, (लेखा) बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना /स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0मैनेजर /कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3.18

सरकार के विशेष सचिव।